निग –1565– II –16

न्यायालयः– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2016 निगरानी

1. नत्थूसिंह
2. सुल्तान सिंह
3. राजा सिंह

पुत्रगण भैयालाल यादव

निवासीगण ग्राम कृषक बडौदिया ग्राम कोलुआ तह. आरोन जिला गुना म.प्र.

---- प्रार्थीगण

विरूद्ध

गुल्लू पुत्र तिजुआ
निवासी शहबाजपुर तह. व जिला अशोकनगर म.प्र.

---- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्र.क. 22/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 के बिरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनु.वि.अधि. अशोकनगर के समक्ष एक आवेदन इस आशाय का प्रस्तुत किया गया कि, आवेदकगण द्वारा कुचक अधिनियम का प्रयोग किया जा कर अनावेदक के द्वारा न्यायालय अनु.वि.अधि. अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसका प्र.क. 94/बी–121/04–05 पर दर्ज किया जाकर आवेदकगण को पक्षकार बनाये बिना आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने दाबा सिद्ध करने के लिये भूमि हड़पने सम्बंधी कुचकों से परित्याज तथा मुक्ती अधिनियम का प्रयोग किया गया है। जबकि, आवेदकगण द्वारा भूमि को रजि. विकय पत्र द्वारा कय किया है। जिसका विधिवत् नामान्तरण आवेदन पत्र तह. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर से विधिवत् नामान्तरण नियमों का पालन करते हुये। आवेदकगण के हित में नामान्तरण आदेश पारित किया है। जिसकी शिकायत अनावेदक द्वारा अनु.वि.अधि. अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत की जा कर। शिकायत के आधार पर प्र.क. 94/बी–121/04–05 पर पंजीवद्ध किया जा कर अनु.वि.अधि. द्वारा पारित आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1565–दो/2016 जिला–अशोकनगर

नत्थू सिंह आदि विरूद्ध गुल्लू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 22/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19–05–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 3/ पक्षकार दिनांक 05–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	